न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला-बारां (राज.)

डिक्री

वाद संख्या 55/19	धारा अंतर्गत 88,89,188 RTA	निर्णय दिनांक 24/10/19

समक्ष - श्री हीरालाल मीना (R.A.S.)

उपस्थिति - अभिभाषक वादी श्री ओम मेहता II	अभिभाषक प्रतिवादी श्री सिमरनजीत सिंह

वाद शीर्षक

गोकरीलाल पुत्र कजोड़ जाति बैरवा निवासी दौलतपुरा हाल निवासी शिवाजी कॉलोनी, मारवाड़ टंकी के पास, बारां

बनाम

1. मोहनलाल 2. आनन्दीलाल 3. शंकरलाल 4. पप्पू पुत्रगण गोकरीलाल 5. मन्ना बाई 6. धापू बाई 7. नत्थी बाई 8. विमला बाई 9. राधू बाई 10. भूरी बाई पुत्रियां गोकरीलाल जातियान बैरवा निवासीगण मदन जी माली की बाड़ी शिवाजी नगर बारां
11. राज० सरकार जरिये तहसीलदार बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री इस आशय की पारित की जाती है कि ग्राम कुण्डा की आराजी ख.नं. 769 रकबा 1.00 है., 770 रकबा 1.16 है., 787 रकबा 0.16 है., 795 रकबा 1.25 है., 799 रकबा 0.75 है., 827 रकबा 0.15 है. 828 रकबा 0.45 है. कुल किता 7 रकबा 4.92 है. पर मृतक पानाबाई के 3/4 हिस्से पर वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर प्रतिवादीगण को बजरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादी के खातेदारी हक स्वामित्व में किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वयं करें न अपने किसी प्रतिनिधि से करावें।

उप खण्ड अधिकारी
बारां

साथ ही नियमानुसार ..... रू0 का व्ययानुतोष ..... द्वारा ..... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 24/10/19 को निर्गत किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी, बारां

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6	व्यय साक्षी		
7	फीस कमिश्नर		

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Heera Lal Meena
Date: 2019.11.21 15:16:41 IST
Reason: SelfAttested